

प्रारूप-30-1

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT- Nainital (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Depandra chaudary deputy Commissioner-cum-Chairman on dated. 5.12.17 at time 11.00 AM at Haldwani (Nainital) in Reserve Forest Land Diversion area measuring .0735 hectares for the construction of trench weir at Chorgaliya Canal Haldwani Block Disst - Nainital forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place.....Nainital.....  
Dated.....5.12.17.....

Deputy Commissioner - cum - Chairman  
District Level Committee

प्रिन्सिपल  
मैनीताल

प्रारूप-30

**FORM-II**

(For Project other than linear projects)

- Government of Uttarakhand Office of the District Collector

No..Memo.....

Dated.....05-12-2017

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter F. No 6-119/2107-WL 21 July 2017 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of rights under the Schedules Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 0.735 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Irrigation department (name of user agency) for...Division of 0.735 hectare of forest land from Nandhor Wild Life Sanctuary for Reconstruction Of Damaged Trench Wire and Related Works For Chorgaliya canal system. ( purpose for diversion of forest land) in Nainital District fall within jurisdiction of lakhan Mandi village in Haldwani Tehsil.

In the further certified that.

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.735 hectares of forest land proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s). Gram Sabha (s) Sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure.....04..... to.....04..... annexure.
- (b) The proposal for the such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram sabha(s) has certified that all formalities/processes under the PRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures. If any having understood the purpose and details of proposed diversions a copy of certificate issued by the gram sabha of village enclosed as annexure...04..... to annexure.....04.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals land takes pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

  
District social welfare Officer

Nainital

जिम्मा सत्ताज कल्याण अरिस्तारी

नैनीताल

  
District Magistrate

Nainital

जिम्माधिकारी

नैनीताल

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रेंच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी हल्द्वानी  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.735 हैक्टेयर वन भूमि का सिंचाई विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील, हल्द्वानी के दिनांक 28/11/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ए.पी. वाजपेयी, उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

1. श्री ए.पी. वाजपेयी, उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष
2. श्री अनन्त कुमार शर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य
3. श्री ए.पी. वाजपेयी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी / (ए.पी.) सचिव
4. श्री ए.पी. वाजपेयी, वी0डी0सी0 क्षेत्र (ए.पी. वाजपेयी), सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद, नैनीताल, में विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकासखण्ड के नन्धौर नदी में ट्रेंच वियर का निर्माण सिंचाई विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा0 सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मान्यता सम्बन्धित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्धौर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2006 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि, वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हल्द्वानी परिक्षेत्र के जनपद नैनीताल, के विधान सभा लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकासखण्ड में ट्रेंच वियर का निर्माण हेतु 0.735 हैक्टेयर वन भूमि, सिंचाई खण्ड हल्द्वानी, को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—हल्द्वानी (नैनीताल)  
जनपद—नैनीताल

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— हल्द्वानी  
जनपद— नैनीताल

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम,लाखनमण्डी

तहसील,,हल्द्वानी ,जिला,नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

उत्तराखण्ड में जनपद,,नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र, लालकुआ, के अन्तर्गत,,हल्द्वानी,विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि ,0.00 हैक्टेयर सिविल, स्वयं भूमि 0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर) अर्थात् कुल 0.735 का सिचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावृत्ति करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमखेड़ा द्वारा दिनांक,,11-10-17,को सम्पन्न ग्राम /ग्राम पंचायत की बैठक में सिचाई खण्ड हल्द्वानी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई । यह कि वनधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं , उपस्थित सभी ग्राम वाशियो द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवाशियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नहीं हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमखेड़ा के ग्राम वाशियो का उक्त वन भूमि सिचाई खण्ड हल्द्वानी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

*S.K. Ch*  
**श्रीमती सुरजीत कौर**  
 ग्राम पंचायत प्रमुख  
 ग्राम सं.-जोमखेड़ा आमखेड़ा  
 विकास खण्ड हल्द्वानी चोरगलिया

१०-१३-११-२०१७

## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम,लाखनमन्डी


तहसील,,,हल्द्वानी ,जिला,नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

उत्तराखण्ड में जनपद,,,नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र, लालकुआ, के अन्तर्गत,,हल्द्वानी,विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धौर नदी पर ट्रैच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि, 0.00 हैक्टेयर सिविल, स्वयं भूमि 0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर) अर्थात् कुल 0.735 का सिचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावृत्ति करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खनवाल कटान द्वारा दिनांक...16.10.17को सम्पन्न ग्राम /ग्राम पंचायत की बैठक में सिचाई खण्ड हल्द्वानी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई । यह कि वनधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं । उपस्थित सभी ग्राम वाशियो द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवाशियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खनवाल कटान के ग्राम वाशियो का उक्त वन भूमि सिचाई खण्ड हल्द्वानी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



हेमंत सिंघी

प्रधान

ग्राम पंचायत खनवाल कटान  
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)  
खनवाल कटान

विकास खण्ड हल्द्वानी चोरगलिया

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धोर नदी पर ट्रेच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम,लाखनमन्डी


तहसील,,,हल्द्वानी,जिला,नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

उत्तराखण्ड में जनपद,,नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र, लालकुआ, के अन्तर्गत,,हल्द्वानी,विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धोर नदी पर ट्रेच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि 0.00 हैक्टेयर सिविल, स्वयं भूमि 0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर) अर्थात कुल 0.735 का सिचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावृत्ति करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नया गाँव कटान द्वारा दिनांक...3.8.2017...को सम्पन्न ग्राम /ग्राम पंचायत की बैठक में सिचाई खण्ड हल्द्वानी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई । यह कि वनधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं, उपस्थित सभी ग्राम वाशियो द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवाशियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नया गाँव कटान के ग्राम वाशियो का उक्त वन भूमि सिचाई खण्ड हल्द्वानी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
(सिचाई विभाग)

ग्राम  
वि० ग्राम प्रधान

नया गाँव कटान  
विकास खण्ड हल्द्वानी चोरगलिया

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम-जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत हल्द्वानी विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धोर नदी पर ट्रेच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम,लाखनमन्डी


तहसील,,,हल्द्वानी ,जिला,नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

उत्तराखण्ड में जनपद,,नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के अन्तर्गत, हल्द्वानी,विकास खण्ड में चोरगलिया स्थित नहर प्रणाली हेतु नन्धोर नदी पर ट्रेच वियर व तत्सम्बन्धित कार्यों का निर्माण हेतु 0.735 हैक्टेयर (आरक्षित वन भूमि ,0.00 हैक्टेयर सिविल, स्वयं भूमि 0.00 हैक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर)अर्थात कुल 0.735 का सिचाई विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावृत्ति करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लाखनमन्डी द्वारा दिनांक...2.5.19...को सम्पन्न ग्राम /ग्राम पंचायत की बैठक में सिचाई खण्ड हल्द्वानी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वनधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं, उपस्थित सभी ग्राम वाशियो द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवाशि अथवा गैर आदिवाशि का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवाशियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लाखनमन्डी के ग्राम वाशियो का उक्त वन भूमि सिचाई खण्ड हल्द्वानी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
 प्रीम प्रधान  
 लाखनमन्डी  
 विकास खण्ड हल्द्वानी चोरगलिया